



वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर द्वारा बस्तर जिले के कांगेर घाटी, राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर में "भारतनेट फेस-2" अंतर्गत ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट ऑफ-वे में आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु 1.005 हे. आरक्षित वन भूमि में गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण) के अभिमत से सहमत होते हुए आप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु 1.005 हे. वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 26/07/2023

स्थान: अरण्य भवन, नवा रायपुर

(व्ही. श्रीनिवास राव)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़, रायपुर



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर-492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र०/भू-प्रबंध/विविध-ए/115-880/1759

रायपुर, दिनांक 26/07/2023

प्रति,

प्रमुख सचिव
छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर
नवा रायपुर

विषय :- Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Kanger Valley National Park, Jagdalpur Bharat Net project which is a GOI initiative Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466KM The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, area- 1.005 ha. regarding

पंजीयन क्रमांक/ FP/CG/OFC/ 118817/ 2021

संदर्भ:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का पत्र क्रमांक/ व. प्रा./ प्रबंध-2/520 / 3172 दिनांक 11.07.2023 एवं मुख्य वन संरक्षक इन्द्रावती टायगर रिजर्व, जगदलपुर का पत्र क्रमांक/ 1188 दिनांक 20.06.2023

-0-

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से आवेदनकर्ता मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन, रायपुर द्वारा बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने के लिये मार्गों के मौजूदा राईट-आफ-वे के अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु आरक्षित वन भूमि रकबा 1.005 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा चेक लिस्ट अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन्यप्राणी) द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

नोडल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेक लिस्ट बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्रं.	विवरण	पृष्ठ क्र
1.	आवेदक विभाग का मांग पत्र- आवेदनकर्ता मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन, रायपुर द्वारा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने के लिये मार्गों के मौजूदा राईट-आफ-वे के अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु आरक्षित वन भूमि रकबा 1.005 हे. वन भूमि की मांग की गई है।	1
2.	रजिस्ट्रेशन कोड एवं वर्ष की पुष्टि हेतु ऑनलाईन एकनालेजमेंट स्लिप की छायाप्रति:- प्रस्ताव का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन क्रमांक FP/CG/OFC/ 118817/ 2021 आबंटित किया गया है।	2 - 3
3.	वन क्षेत्र का विवरण:- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन, रायपुर द्वारा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने के लिये मार्गों के मौजूदा राईट-आफ-वे के अंतर्गत	4

	ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु रकबा 1.005 हे. आरक्षित वन भूमि में गैर वानिकी कार्य हेतु आवश्यक है।	
4.	गैर वन क्षेत्र विवरण:— ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के कार्य में 0.034 हे. गैर वन भूमि प्रभावित हो रहा है।	5
5.	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर:— प्रस्तावित वनक्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का 1:50000 स्केल का मानचित्र संलग्न है।	6—9
6.	वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप:— प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा जारी वन आवरण मानचित्र संलग्न है।	10—11
7.	प्रपत्र-4 में प्रस्ताव:— प्रपत्र - 4 में परियोजना की प्रशासकीय लागत 2 करोड़ 42 लाख रु. बतायी गई है। यूजर एजेंसी ने कथन किया गया है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने से समस्त ग्राम पंचायत डिजिटलीकृत हो जायेंगे जिससे ग्रामवासियों के पंचायत संबंधित कार्य त्वरित गति से तथा सुचारु रूप से संपादित होंगे।	12—19
8.	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप:— बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने के लिये मार्गों के मौजूदा राईट-आफ-वे के अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु रकबा 1.005 हे. आरक्षित वन भूमि प्रस्तावित किया गया है जिसमें आवेदक संस्थान ने कथन किया है कि छ.ग. राज्य में इस प्रयोजन के तहत छ.ग. सरकार द्वारा ब्लॉक मुख्यालय से एक ऑप्टिकल फायबर केबल नेटवर्क स्थापित किया जावेगा जिसके अंतर्गत राज्य में 85 ब्लॉक, 5987 ग्राम पंचायतों को जोड़कर उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जावेगी।	20—22
9.	न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र:— बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने के लिये मार्गों के मौजूदा राईट-आफ-वे के अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु रकबा 1.005 हे. आरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्तावित है। उक्त प्रकरण में मांग की गई वन भूमि आवश्यक एवं न्यूनतम है।	23
10.	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों/जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही:— इस परियोजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण निरंक है।	24
11.	वनाधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम, पदनाम सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) प्रपत्र IV मुख्यालय से भरा जावेगा:— बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने हेतु रकबा 1.005 हे. आरक्षित वन भूमि में ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु प्रपत्र-3 पर निदेशक, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरांत दिनांक 27.01.2022 से प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। निदेशक, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अनुशंसा के आधार पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) वन भूमि व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है जो परियोजनाओं के लिये अपरिहार्य एवं न्यूनतम है। निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।	25—36 (बी)
12.	ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र:— प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व स्थल एवं पुरातात्विक स्थल प्रभावित नहीं हो रहा है।	37
13.	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र— संबंधित ग्राम पंचायत के अनापत्ति	38 — 41

	प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। तदाशय का निर्देश प्रस्ताव में संलग्न है।	
14.	जिले की कुल वन भूमि रकबा है. में:- बस्तर जिले की कुल वन भूमि रकबा 241180.70 हे. है।	42
15.	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा है. में:- बस्तर जिले के अंतर्गत कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत कोई भी वन भूमि रकबा प्रभावित नहीं हो रही है।	43
16.	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि रकबा है. में:- व.स.अ.-1980 तहत बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि का रकबा निरंक है।	44
17.	प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक/ एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12/01/2010):- प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी की परिधि में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/ मूर्ति स्थापित नहीं है।	45
18.	वन अधिकार मान्यता पत्र विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा)। (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/F.No. 11-9/1998 दिनांक 03/08/2009):- आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर जिला बस्तर द्वारा वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र दिनांक 06.12.2021 को जारी किया गया है, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।	46 – 47
19.	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (कार्यालयीन पत्र क्रमांक भू-प्र/1317 दिनांक 25/05/2007):- प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि निरंक है। यद्यपि राजस्व वन भूमि के उपयोग हेतु कलेक्टर बस्तर के पत्र क्रमांक 616 दिनांक 06.12.2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी की गई है। जो प्रस्ताव के संलग्न है।	48-49
20.	पंजीयन क्रमांक-पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-7-22/2009/10-2 दिनांक 31/07/2009):- आवेदक संस्थान द्वारा पंजीयन शुल्क राशि 6000/- रुपये एवं प्रोसेसिंग शुल्क की राशि 18000/- रुपये इस प्रकार कुल राशि 24000/- रुपये वन मंडलाधिकारी, बस्तर वन मंडल के पी.डी खाते में जमा किया गया है।	50
21.	राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण के अंदर में ओ.एफ.सी. गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ की अनुशंसा:- ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु प्रस्तावित वन भूमि के अंतर्गत 10 कि. मी. की परिधि में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित होने के कारण परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/ व.प्रा./ प्रबंध-520/ 2056 दिनांक 25.05.2022 से अनुशंसा की गई है।	51

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ का अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग-4 सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 02 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:-

1. प्रस्ताव 02 प्रति में
2. संदर्भित पत्र की छाया प्रति
3. भाग-4
4. टाईम लाईन

(प्र.मु.व.स. द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.सं (भू-प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र0/ भू-प्रबंध/विविध-ए/115-880/1760
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

रायपुर, दिनांक 26/07/2023

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), प्रथम तल, अरण्य भवन, नवा रायपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर जगदलपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़।
3. मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र निदेशक, कांग्रेस घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर।
4. वन मंडलाधिकारी, बस्तर वन मंडल, बस्तर, छत्तीसगढ़।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन, रायपुर।

अ.प्र.मु.व.सं (भू-प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़